कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 124/2017 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

---अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

---प्रत्यार्थी

आदेश दिनांक:-23.01.2018

यह अपील सूचना का अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई है।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से सूचना मांगी थी सूचना आज दिनांक तक अपीलार्थी को प्राप्त नही हुई। सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से पत्र कमांक 320 दिनांक 17.01.2018 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के उक्त पत्र कमांक 320 दिनांक 17.01.2018 के साथ संलग्न पत्र कमांक 11720 दिनांक 18.12.2017 की फोटो कापी का अवलोकन करने से जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सूचना/सूचित किया जाना पाया गया। अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। अपीलार्थी की वर्तमान अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official